स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस–नोट संख्याः 291, दिनांक 14–11–2020

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 990 पेटी अवैध शराब Bombay Special Whisky (अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख) लदा डीसीएम ट्रक बरामद।

दिनांक–13.11.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 की फील्ड इकाई, प्रयागराज को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 990 पेटी अवैध शराब Bombay Special Whisky (अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख) लदा डीसीएम ट्रक बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– भगवान पुत्र रतन, निवासी ग्राम नाया, पो0 नाया, थाना बड़वाँ, जनपद खरगोन, मध्यप्रदेश।
2– अनिल यादव पुत्र स्व0राम जियावन यादव, निवासी प्रेमराजपुर, पो0 शेरवा, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर।
3– इन्द्रसेन मनीष पुत्र राम किशोर, निवासी ग्राम भरतपुर, पो0 सिकरारा, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर।

वांछित अभियुक्त का विवरण
1– सतीश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी मुजाहिन, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः–
1– 990 पेटी अवैध देशी शराब (लगभग 8553 लीटर–अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख रूपये)
2– 01 अदद डीसीएम नम्बर–यू0पी–70सीटी–5929।
3– 01 अदद मोटरसाइकिल (पैशन) नम्बर यू0पी–62 बी0वी0–0539।
4– 05 अदद मोबाइल फोन।
5– 01 अदद ड्राईविंग लाइसेन्स नं0–एमपी 10 आर 20190086156।
6– 01 अदद आधार कार्ड।
7– 01 अदद फर्जी बिल्टी।
8– नकद रूपये 2140।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

विष्णुपुर कला मोड़, थाना क्षेत्र रानीगंज, प्रतापगढ़, दि0 13.11.2020, समय 21.15 ।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों –जैसे फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं ठोस कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नीरज कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई,

प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज की टीमों द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनाक–13.11.2020 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के निरीक्षक श्री के0सी0राय व श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, आरक्षी संतोष कुमार, किशनचन्द्र, उदय प्रताप सिंह व साजिद अली की टीम जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक अभिसूचना संकलन में व्यस्त थी कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि मध्यप्रदेश से एक वाहन में लदी हुयी अवैध शराब विक्रय हेतु पट्टी, प्रतापगढ़ जाने वाली है। इस सूचना पर विश्वास कर उक्त टीम के सदस्य तत्काल स्थानीय पुलिस को सहयोगार्थ साथ लेकर थाना रानीगंज क्षेत्र अन्तर्गत विष्णुपुर कला मोड़ पर मुखबिर के बताये हुये वाहन का इन्तजार करने लगे। थोड़ी देर में मुखबिर द्वारा बताये गये नम्बर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उक्त वाहन व उसके आगे–आगे रास्ता दिखाते चल रहे मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को विष्णुपुर कला मोड़ पर रोककर चेकिंग की गयी और अवैध शराब से लदे ट्रक व 03 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई। सघन तलाशी से ट्रक के चालक केबिन से एक अदद फर्जी बिल्टी 02 प्रतियों में बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त ट्रक ड्राइवर ने विस्तृत पूछताछ पर बताया कि यह अवैध शराब मध्यप्रदेश के खरगोन खोड़ी ग्राम बड़वा से सचिन सिंह ने जनपद प्रतापगढ़ व जौनपुर तक पहुॅचाने के लिए भेजा था, तथा कहा था कि जनपद प्रतापगढ़ में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ लोग सम्पर्क करके स्वयं इस अवैध शराब को अपने अड्डे तक लेकर जाएगें। मौके से पकड़े गए दो स्थानीय शराब तस्करों अनिल यादव व इन्द्रसेन मनीष ने पूछताछ पर बताया कि वे लोग सतीश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी मुजाहिन, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर अवैध शराब का कारोबार प्रतापगढ़ व जौनपुर जिलों में करते हैं। इस समय त्योहारों का सीजन होने से अवैध शराब की मॉग भी ज्यादा है। इस अवैध शराब को मध्य प्रदेश से सस्ते दामों पर खरीदकर स्थानीय रूप से फुटकर में ऊँचे दामों पर बिक्री करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में दाखिल करके मु0अ0सं0–631/2020 धारा–419/420/467/468/471 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।